

परियोजना: The Millennia, कमर्सियल स्पेस: Signum 37D

जबकि

1. निम्नलिखित आवंटी को उपरोक्त परियोजना में उनके आवेदन के तदनुसार निम्नलिखित इकाई आवंटित की गयी थी:

क्रमांक	आवंटी का नाम	आवंटित इकाई	बीबीए तिथि	टीपीए तिथि	रद्द करने की सूचना देने वाले बैंक के पत्र की तिथि	उक्त बैंक पत्र के बारे में आवंटी को सूचित करने वाले पत्र की तिथि
1	TOIJAM LILABATI DEVI	2-101	01.11.2017	05.01.2017	26.07.2022	17.10.2022

2. उपरोक्त आवंटी ने संबंधित बैंक के साथ प्रासंगिक समय पर एक त्रिपक्षीय समझौता किया था और तदनुसार, ऋण वितरित किया गया था।
3. उक्त त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार उक्त ऋण के भुगतान में चूक की स्थिति में आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और प्राप्त राशि का भुगतान संबंधित बैंक की सूचना पर बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को किया जाएगा।
4. संबंधित बैंक ने हमें सूचित किया है कि उपरोक्त आवंटी ने उक्त ऋण राशि के भुगतान में चूक की है और साथ ही आवंटन को उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार रद्द (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को चुकाने के लिए कहा है।
5. उपरोक्त आवंटी को उचित समय पर इस सूचना के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि उपरोक्त आवंटी की ओर से उक्त ऋण की अदायगी में हुई चूक को ठीक करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह सूचना एक बार पुनः दी जा रही है।

इसके सूचना के जरिए सूचित किया जाता है उपरोक्त आवंटी ने यदि उक्त ऋण की अदायगी में हुई चूक को अगले 10 दिनों में ठीक नहीं किया तो हम उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार संबंधित बैंक के सूचनानुसार आवंटन को रद्द (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद शेष राशि को सीधे बैंक को चुकाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मामले में, उपरोक्त आवंटी के पास उक्त आवंटन पर कोई ग्रहणाधिकार या दावा नहीं रहेगा और कंपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी भी व्यक्ति एवम पार्टी को उक्त आवंटन को बेचने, देने या स्थानांतरित करने की हकदार होगी।